भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1729

सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946, (शक)

भवन उपकर संग्रहण

1729. श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नई श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन से भवन उपकर संग्रहण में कमी आ सकती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इससे विशेष रुप से केरल भवन निर्माण कल्याण बोर्ड आदि जैसी संस्थाओं की कल्याणकारी गतिविधियां प्रभावित होंगी;

(ग) क्या हाल ही में दिल्ली में हुई राज्यों के श्रम मंत्रियों और सचिवों की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 में *अन्य बातों के साथ-साथ* ऐसी दर पर जो नियोक्ता द्वारा किए गए सन्निर्माण की लागत के दो प्रतिशत से अनधिक लेकिन एक प्रतिशत से कम नहीं हो से उपकर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान है जैसा कि केंद्र सरकार अधिसूचित करे। उपकर लगाने सहित इस अधिनियम के प्रावधानों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में शामिल कर दिया गया है।

दिनांक 29 से 30 जनवरी 2025 के दौरान दिल्ली में आयोजित राज्य श्रम मंत्रियों और सचिवों की बैठक में अधिनियम अधिदेश के अनुसार उपकर निधि के उपयोग पर भी चर्चा की गई।

****